भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3038

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ निगरानी

3038. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बाढ़ निगरानी पैनल नियमित अंतराल पर बैठक कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) बाढ़ प्रबंधन उपायों की आयोजना, जांच और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राज्य के भीतर प्राथमिकता के अनुसार स्वयं के संसाधनों से किया जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बाढ़ अवधि के दौरान संबंधित पूर्व चेतावनी अभिकरणों और संबंधित बाढ़ प्रभावित राज्यों के साथ नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। बाढ़ की चेतावनी वाले/बाढ़ प्रभावित राज्यों के रेजिडेंट आयुक्तों के साथ-साथ भारतीय मौसम विज्ञानीय विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अधिकारी बैठक में उपस्थित होते हैं। बाढ़ उपशमन उपायों को करने के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय भी अपने केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तथा बाढ़ प्रभावित राज्य सरकारों, सीडब्ल्यूसी, आईएमडी और एनडीआरएफ से प्राप्त इनपुट के आधार पर देश में बाढ़ की स्थिति की लगातार निगरानी करता है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति भी चरम बाढ़ के मामले में बैठकें करती है और सभी संबंधी केन्द्रीय मंत्रालयों को उपशमन उपाय करने हेतु निर्देश जारी करती है।

*****